न्यामूर्ति नवाब सिंह के समक्ष

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,-याचिकाकर्ता

बनाम

अभय सिंह और अन्य,-उत्तरदाता

सिविल पुन: निरिक्षण सं. 2010 का 6696

2 फरवरी, 2012

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-S.170 सिविल पुन: निरिक्षण दायर किया गया-एम. ए. सी. टी. के आदेश को चुनौती दी गई जिसके तहत बीमा कंपनी को अन्य प्रतिवादी के लिए उपलब्ध आधारों पर याचिका लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी-याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी गई कि बीमा कंपनी को एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, उसे याचिका को उसके पास उपलब्ध आधारों पर लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अभिनिर्धारित किया गया, बीमा कंपनी के लिए विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र निवेदन यह है कि बीमा कंपनी को सुशीला देवी (पीडब्लू-2), करमबीर उपनाम दिल्लू (पीडब्लू-3) और कपिल देवी (पीडब्लू-5) क्रमशः दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शीला दत्ता और अन्य (2011) 10 एस. सी. सी. 509 पर भरोसा रखा है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ सं. 14 में कहा है:-

> "14.जब किसी बीमाकर्ता को दावा याचिका के लिए एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत केवल एक नोटिस धारक के विपरीत उसके अधिकार काफी अलग होते हैं।यदि बीमाकर्ता केवल एक नोटिसधारक है, तो वह केवल उन आधारों को उठा सकता है जो धारा 149 (2) के तहत कानून में अनुमत हैं।लेकिन अगर वह एक

पक्ष-प्रतिवादी है, तो वह न केवल उन आधारों को उठा सकता है जो धारा 149 (2) के तहत उपलब्ध हैं, बल्कि अन्य सभी अधारो को भी उठा सकता है जो उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं जिसके खिलाफ दावा किया गया है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि कोई दावेदार बीमाकर्ता को किसी भी कारण से एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करता है, तो ऐसे प्रतिवादी के रूप में, बीमाकर्ता को उन सभी विवादों और आधारों का आग्रह करने का अधिकार होगा जो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।"

(पैरा 2)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त मामले में प्रतिपादित कानून को देखते हुए, बीमा कंपनी को उसके लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर दावा याचिका का विरोध करने की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि बीमा कंपनी को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया हो, जो इस मामले में किया गया है।

(पैरा 3)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चुनौती दिए गए आदेश को दरनिकार किया जाता है। नतीजतन, बीमा कंपनी को उपरोक्त गवाहों से जिरह करने की अनुमति है।

(पैरा 4)

सुमन जैन, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

जय सिंह यादव, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

आर. डी. यादव, सिंह अधिवक्ता, उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 के लिए।

न्यामूर्ति नवाब सिंह (मौखिक)

(1) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण"), रेवाड़ी द्वारा पारित 2 मार्च, 2010 के आदेश के खिलाफ बीमाकर्ता के ने यह पुन: निरिक्षण दायर कि है।तैयार संदर्भ के लिए आदेश को निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया गया हैः—

"याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से एम. डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 170 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी के आवेदन पर अलग-अलग जवाब दायर किए गए हैं। उपरोक्त आवेदन पर पार्टियों के वकील को सुना गया।चूंकि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साथ किसी भी तरह से मिलीभगत कर रहा है।इसलिए, बीमा कंपनी को उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के आधार पर याचिका को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।तदनुसार, बीमा कंपनी का उपरोक्त आवेदन इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 अशोक उपस्थित है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के साक्ष्य में आर. डब्ल्यू. 1 के रूप में पूछताछ की गई। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से साक्ष्य को बंद कर दिया।अब अपनी जिम्मेदारी पर प्रतिवादी संख्या 3 बीमा कंपनी के साक्ष्य के लिए 5 मार्च, 2010 को आना है।"

(2) बीमा कंपनी के लिए विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र निवेदन यह है कि बीमा कंपनी को क्रमशः सुशीला देवी (पीडब्लू-2), करमबीर उपनाम दिल्लू (पीडब्लू-3) और कपिल देवी (पीडब्लू-5) दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस का समर्थन करने के लिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शीला दत्ता और अन्य (1) पर भरोसा रखा गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 14 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः—

"14.जब किसी बीमाकर्ता को दावा याचिका के लिए एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत केवल एक नोटिस धारक के विपरीत उसके अधिकार काफी अलग होते हैं।यदि

बीमाकर्ता केवल एक नोटिसधारक है, तो वह केवल उन आधारों को उठा सकता है जो धारा 149 (2) के तहत कानून में अनुमत हैं।लेकिन अगर वह एक पक्ष-प्रतिवादी है, तो वह न केवल उन आधारों को उठा सकता है जो धारा 149 (2) के तहत उपलब्ध हैं, बल्कि अन्य सभी अधारो को भी उठा सकता है जो उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं जिसके खिलाफ दावा किया गया है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि यदि कोई दावेदार बीमाकर्ता को किसी भी कारण से एक पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल करता है, तो ऐसे प्रतिवादी के रूप में, बीमाकर्ता को उन सभी विवादों और आधारों का आग्रह करने का अधिकार होगा जो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं।"

(3) उपरोक्त मामले में उल्लिखित कानून को ध्यान में रखते हुए, बीमा कंपनी को उसके लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर दावा आवेदन को चुनौती देने की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि बीमा कंपनी को पक्ष-प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया हो जो इस मामले में किया गया है।

(4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चुनौती के तहत आदेश को दरकिनार किया गया है।नतीजतन, बीमा कंपनी को उपरोक्त गवाहों से जिरह करने की अनुमति है।

(5) दावेदारों के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तिथि पर गवाह को पेश करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

(6) पुन: निरक्षण का निपटान तदनुसार किया जाता है।

---

(1) 2011 (10) एससीसी 509

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)